

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

--: आदेश ::--

सं० सं०-17/विविध- 01-27/2026

पटना, दिनांक :- / / 2026

डॉ० रचिता शांति, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), रेफरल अस्पताल, बरबीघा, शेखपुरा को स्वास्थ्य विभागीय आदेश सख्या-1133(17), दिनांक-29 11 2022 की कंडिका-07 के शर्ताधीन दिनांक-01.12.2025 के प्रभाव से प्रथम संतान हेतु मातृत्व अवकाश पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी।


ज्ञापांक :-17/विविध- 01-27/2026 - 2,09 (17) पटना, दिनांक :- 10/03/2026

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, शेखपुरा/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, बरबीघा, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- डॉ० रचिता शांति, चिकित्सा पदाधिकारी (बॉण्ड), रेफरल अस्पताल, बरबीघा, शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी।